न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा, आर.ए.एस.

एफ एस प्रकरण संख्या 05/2022 (2022/163)

प्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी
जीवराम सोंलकी पुत्र जेठाराम सोंलकी, उम्र 40 वर्ष (एफबीओ/विक्रेता/मालिक)। फर्म – मैसर्स राजलक्ष्मी स्वीट्स, जाटावास, बस स्टेण्ड के पास, झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर। निवासी – रामनगर, झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

–ःआदेश ः– दिनांक ः– 27.03.2023

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 26.02.2022 को रजनीश शर्मा बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैंकिग फर्म – मैसर्स राजलक्ष्मी स्वीट्स, जाटावास, बस स्टेण्ड के पास, झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर पर पहुंचा व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया, इस समय निर्माण ईकाई पर (एफबीओ/विक्रेता/मालिक की हैसियत से जीवराम सोंलकी पुत्र जेठाराम सोंलकी, निवासी – रामनगर, झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर उपस्थित मिले दुकान का निरीक्षण करने पर विक्रय काउन्टर में स्टील ट्रे में गुलाब जामुन करीबन 8 किलोग्राम आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को रूपये 500/– नगद देकर 2 किलोग्राम खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल प्रति सलंग्न है।

विक्रेता व गवाह के सामने उक्त गुलाब जामुन को 4 प्लास्टिक की बोतल में डालकर चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–2816 खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। मैने, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। इन चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–2816 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, जोधपुर के नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:53:26 IST
Reason: SelfAttested

समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एम–2816 सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं ने, गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की असल मौका फर्द सलंग्न है।

कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया एंव जिस सील से नमूना सिल्ड किया गया उसका सील इम्प्रेशन अंकित किया गया। फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनो को पुनः आउटर कवर मे लपेट कर मोटे धागे से बान्धकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एंव उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा स्वयं के द्वारा दिनांक 08.02.2022 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग–अलग असल सलंग्न है।

एम–2816 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 26.02.2022 को एंव चतुर्थ भाग दिनांक 26.02.2022 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद दोनो अलग–अलग मूल सलंग्न हैं।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 285–286 दिनांक 24.03.2022 के साथ संलग्न खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर की मूल जांच रिपोर्ट एल. एस. 662 / एक्ट / 2022 / 647 दिनांक 10.03.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ गुलाब जामुन का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण असुरक्षित (Unsafe) होना पाया गया, अग्रेषण पत्र मय जांच रिर्पोटे सलंग्न है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष सुराणा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि अप्रार्थी की मिठाई की दुकान है उसमें वह अन्य लोगों से दुध लेकर मावे की मिठाईयाँ व गुलाब जामुन बनाकर बेचता है। अप्रार्थी द्वारा गुलाब जामुन विधिवत् रूप से बिना किसी अखाद्य पदार्थ की मिलावट के बनाए गए थे फिर भी अप्रार्थी द्वारा कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है तो उस पर न्यूनतम जुर्माना अधिरोपित कर अपराध का शमन करवाने की कृपा करावें।

हमने प्रकरण में प्रार्थी विभागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद का अध्ययन किया तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब पर मनन किया। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि अप्रार्थी की फर्म से खाद्य सुरक्षा अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:53:26 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा जांच हेतु गुलाब जामुन का सैम्पल लिया गया। उक्त सैम्पल की खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर की मूल जांच रिपोर्ट एल. एस. 662/एक्ट/2022/647 दिनांक 10.03.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ गुलाब जामुन का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण असुरक्षित (Unsafe) होना पाया गय गया। उक्त प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय या वितरण करके अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा 51 के अर्न्तगत जुर्माने योग्य अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थय की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

आदेश

अप्रार्थी जीवराम सोंलकी पुत्र जेठाराम सोंलकी पर शास्ती रूपये 5,000/– अक्षरे रूपये पांच हजार रूपये की आरोपित की जाती है। अप्राथी उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर–अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2023 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
क्रमांकः कोर्ट/एडीएम(प्रथम)/2023/ दिनांक :–
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. जीवराम सोंलकी पुत्र जेठाराम सोंलकी, उम्र 40 वर्ष (एफबीओ/विक्रेता/मालिक)। फर्म – मैसर्स राजलक्ष्मी स्वीट्स, जाटावास, बस स्टेण्ड के पास, झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर। निवासी रामनगर, झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर.।, जिला जोधपुर।

(मदनलाल नेहरा)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:53:26 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:53:26 IST
Reason: SelfAttested